कार्यालय प्रधान महालेखाकार (आडिट–प्रथम)

उ0प्र0, प्रयागराज

पत्रांक–ए0एम0जी0–II (E-II) / ले0प0प्र0सं0 / FV100708 / 2024–25 / 99 दिनांक-4/12/2024

सेवा मे,

वित्त अधिकारी
हरकोर्ट बटलर, प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर

विषयः–नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्य अधिकार एवं सेवा शर्ते अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत जाँच से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ मे अवगत कराना है कि वित्त अधिकारी हरकोर्ट बटलर, प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक के लेखा अभिलेखो की लेखापरीक्षा जो दिनांक 23.08.2024 से 18.09.2024 तक सम्पादित की गयी | उक्त इकाई कि जांच से लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को इस आशय के साथ आपको प्रेषित किया जा रहा है कि इसके भाग 2 अ प्रस्तरो की अनुपालन आख्या शासन कि अनुसंशा एवं भाग दो ब प्रस्तरो कि अनुपालन आख्या उच्चतर अधिकारी के अनुशंसा के साथ प्राप्ति तिथि के एक माह के अंदर इस कार्यालय को प्रेषित कर दे।

उपर्युक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ऑडिट आपत्ति से सम्बंधित भाग दो अ के 02 तथा भाग 2 ब के 06 प्रस्तर सम्मलित है

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

4/12/24

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए0एम0जी0-II सम्पादन II

पत्रांक–ए0एम0जी0–II (E-II) / ले0प0प्र0सं0 / FV100708 / 2024–25 / दिनांक- /12/2024

1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति **संयुक्त निदेशक ,प्राविधिक शिक्षा मध्य क्षेत्र,** लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति प्रमुख सचिव **,प्राविधिक शिक्षा** लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए0एम0जी0-II सम्पादन II

AC-06 27/12/24

कार्यालय FINANCE OFFICER, HARCOURT BUTLER TECHNOLOGICAL UNIVERSITY KANPUR NAGAR के लेखापरीक्षा पर निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग –I (परिचय)

कार्यालय FINANCE OFFICER, HARCOURT BUTLER TECHNOLOGICAL UNIVERSITY KANPUR NAGAR की लेखापरीक्षा दिनांक 22/08/2024 से 18/09/2024 तक Audit-I, Uttar Pradesh के लेखापरीक्षा दल के निम्नांकित सदस्यों द्वारा की गई:-

नाम	पद	सदस्यता आरंभ	सदस्यता अंत
Arvind Bhartiya	Supervisor	22/08/2024	18/09/2024
Ashwani Kumar	Sr Audit Officer	22/08/2024	18/09/2024
Devendra Kumar	Assistant Supervisor	22/08/2024	18/09/2024
manoj parihar	Assistant Audit Officer	22/08/2024	18/09/2024

लेखापरीक्षा का पर्यवेक्षण निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा किया गया|

नाम	पद	दिनांक से प्रभावी	दिनांक तक प्रभावी
manoj parihar	Assistant Audit Officer	22/08/2024	18/09/2024

लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

कार्यालय वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक की अवधि के अभिलेखों की लेखा परीक्षा श्री मनोज सिंह परिहार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री ए० के० भारतीय पर्यवेक्षक द्वारा दिनाँक 23.08.2024 से 18.09.2024 तक श्री अश्विनी कुमार वरि.लेखापरीक्षा अधिकारी के दिनांक 23.08.2024 से 24.08.2024 के अंशकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन.

निरीक्षण प्रतिवेदन वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के द्वारा प्रस्तुत एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। निरीक्षित इकाई द्वारा प्रदत

गलत सूचना और/ अथवा अप्रदत्त सूचना के सम्बन्ध में कार्यालय प्रधान महालेखाकार (आडिट-1)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज का कोई दायित्व स्वीकार नहीं है।

लेखा परीक्षा का उद्देश्य

लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लेखा परीक्षित इकाई द्वारा उसे राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से प्राप्त निधियों के उपयोग में इसके लिये निर्धारित विधि तथा विद्यमान नियमों,आदेशों एवं शासनादेशों का अनुपालन किया गया तथा योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन निर्धारित प्रक्रिया द्वारा एवं मानक दिशा निर्देशों के अनुरुप किया गया अथवा नही । यह भी सुनिश्चित करना है कि योजनाओं तथा क्रिया कलापों के अभिप्रेत परिणाम प्राप्त हुये अथवा नही।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र-

कार्यालय वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा लेखा परीक्षा अवधि में किये गये समस्त वित्तीय लेन देनों एवं उनके अधीन संचालित समस्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों से संबंधित अभिलेखों की जांच लेखा परीक्षा क्षेत्र में सन्निहित है,जिसके आधार पर लेखा परीक्षा परिणामों तथा निष्कर्षों की प्राप्ति की गयी ।

भाग-प्रथम (अ) परिचयात्मक

कार्यालय वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक की अवधि के लेखा अभिलेखों की विगत लेखा परीक्षा सर्वश्री श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव एवं श्री महेंद्र प्रताप सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियो द्वारा दिनांक 29.11.2021 से 04.01.2022 तक श्री अनन्त कुमार त्रिपाठी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।. वर्तमान में वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक के लेखा अभिलेखों की लेखा परीक्षा सम्पादित की गयी |

प्रशासनिक-विभाग का नाम जिससे इकाई सम्बद्ध है- प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

इकाई की श्रेणीः- स्वात्य निकाय

डी0पी0सी0 एक्ट की धाराएं जिसके अन्तर्गत इकाई की लेखा परीक्षा सम्पादित की गयी-धारा- 20

विगत लेखापरीक्षा से अबतक कार्यरत कार्यालयाध्यक्ष का नाम एवं कार्यकाल

क्रम	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री एन०बी० सिंह	कुलपति	21.02.2018 से 19.04.2021
2.	श्री शमशेर	कुलपति	20.04.2021 से अब तक

5-आहरण वितरण अधिकारी की सूची

क्रम	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री राजेश सिंह	वित्त नियंत्रक	10.2021 से 05.04.2021
2.	श्री राम नरेश	वित्त नियंत्रक(कार्यवाहक)	06.04.2021 से 28.07.2021
3.	श्री अजय जौहरी	वित्त नियंत्रक	29.07.2021 से 16.12.2021
4.	श्री गोपाल खरे	वित नियंत्रक	16.12.2021 से 31.05.2023
5.	श्री राजेश कुमार वर्मा	वित्त नियंत्रक(कार्यवाहक)	01.06.2023 से 03.10.2023
6.	श्री दिनेश कुमार	वित्त नियंत्रक	03.10.2023 से 06.08.2024
7.	श्री साहित्य कुमार कटियार	वित्त नियंत्रक	06.08.2024 से अब तक

6.**वित्तीय विवरण** इकाई की वित्तीय स्थिति.

(रुपये लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	2021-22	2022 -23	2023 -24
1	प्रारंभिक अवशेष	0	0	0
2	प्राप्तिया			
	(i) केंद्रांश	0	0	0
	(ii) राज्यांश	2511.86	2844.59	3222.74
	अन्य प्राप्तियां	3972.77	4028.75-	4890.72
3	योग	6484.63	6873.34	8113.46
	स्थापना	2882.57	4135.14	4077.44
	गैर-स्थापना	2134.11	1840.03	3288.68
	पूंजीगत	0	51.57	200
4	योग	4956.68	6026.74	7566.12
5	अन्तिम अवशेष	1527.95	846.60	547.34

वर्ष	प्राप्ति की मदें	प्राप्तियाँ	जमा
2021-22	पूँजीगत/योजनागत	शून्य	शून्य
	आयोजेनत्तर/राजस्व	2511.86	2511.86
2022-23	पूँजीगत/योजनागत	51.57	51.57
	आयोजेनत्तर/राजस्व	2793.02	2793.02
2023-24	पूँजीगत/योजनागत	200.00	200.00
	आयोजेनत्तर/राजस्व	3022.74	3022.74

केन्द्रीय /केंद्र पुरोनिधारित / राज्य/ बाहय सहायतित योजनाओं / कार्यक्रमों की स्थिति (रु0 लाख में)

योजना का नाम	लेखा शीर्ष	वितीय वर्ष	स्वीकृतियां	प्रा0 अवशेष	आबंटन	व्यय	कार्यदायी संस्था
		2021-22	शून्य				
		2022-23					
		2023-24					

7. फ्लैगशिपयोजनाओं की स्थिति – (रु0 लाख में)

योजना का नाम	वर्ष	आवंटन	व्यय	कार्यदायी संस्था
शून्य				

8 . लेखापरीक्षा अवधि में इकाई में निम्नानुसार मानवशक्ति उपलब्ध थी

क्रम	संवर्ग	स्वीकृति पदों की संख्या	कार्यरत	कमी	अधिक	टिप्पणी
1.	कुलपति	1	1	0		
2.	कुलसचिव	1	0	1		
3.	वित्त नियंत्रक	1	1	0		
4.	वित्त एवं लेखाधिकारी	1	1	0		
5.	परीक्षा नियंत्रक	1	0	1		
6.	कार्यशाधीक्षक	1	1	0		
7.	सहायक कार्यशाधीक्षक	1	1	0		
8.	सिस्टम मैनेजर	1	1	0		
9.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	3	3	0		
10.	सहायक अभियन्ता	1	1	0		
11.	शारीरिक प्रशिक्षक	1	1	0		
12.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	0		
13.	चिकित्साधिकारी	1	0	1		
14.	आचार्य	19	9	10		
15.	सह-आचार्य	38	27	11		
16.	सहायक आचार्य	74	72	2		
17.	शोध सहायक	11	6	5		
18.	फोरमैन	6	1	5		
19.	अनुदेशक	9	4	5		
20.	तकनीकी सहायक	12	1	11		
21.	सीनियर मैकेनिक	3	1	2		

22.	मैकेनिक-ए	2	1	1		
23.	जूनियर स्टैनो/स्टैनो	7	2	5		
24.	कनिष्ठ सहायक	29	7	22		
25.	ब्वायलर अटे0	2	0	2		
26.	मैकेनिक	2	1	1		
27.	फिटर	2	0	2		
28.	ड्राइवर	3	0	3		
29.	मिस्त्री	2	0	2		
30.	एस0एन0डी0/प्रधान सहायक	18	11	7		
31.	स्विच बोर्ड ऑपरेटर	4	0	4		
32.	मैकेनिक-बी	3	1	2		
33.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	3	3	0		
34.	कैटेलागर	2	2	0		
35.	पंच ऑपरेटर	2	1	1		
36.	उप पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	0		
37.	लैब एण्ड वर्कशाप सुपरवाइजर	1	1	0		
38.	आन्तरिक सम्परीक्षक	1	0	1		
39.	व्यैक्तिक सहायक	1	0	1		
40.	सीनियर लाई0 असिस्टेंट	1	0	1		
41.	सीनियर ड्राफ्ट्समैन	1	0	1		
42.	चीफ स्टोर कीपर	1	0	1		
43.	जूनियर इंजीनियर	1	1	0		
44.	सीनियर स्टैनोग्राफर	1	0	1		
45.	प्रधान लिपिक	1	0	1		
46.	कम्पाउडर	1	0	1		
47.	फार्मासिस्ट	1	0	1		
48.	सहायक लेखाकार	1	1	0		
49.	तकनीकी सहायक (स्टोर)	1	0	1		
50.	स्टोरकीपर	1	0	1		
51.	जूनि0 लाईब्रेरी असिस्टेंट	1	0	1		
52.	सीनियर ग्राइन्डर	1	0	1		
53.	जूनियर ड्राफ्ट्समैन	1	1	0		
54.	टेलीफोन ऑपरेटर	1	0	1		

55.	ब्वायलर मैन	1	1	0		
56.	कारपेन्टरी इन्स्ट्रक्टर	1	0	1		
57.	इलेक्ट्रिशियन	1	0	1		
58.	टर्नर	1	0	1		
59.	फिटर कम कारपेन्टर	1	0	1		
60.	ब्लैकस्मिथ	1	0	1		
61.	टे॰ड्समैन	1	0	1		
62.	फर्नेस ऑपरेटर	1	0	1		
63.	मैकेनिक	1	0	1		
64.	सीनियर मशीन मैन	1	0	1		
65.	चतुर्थ श्रेणी	162	41	121		
66.	स्वच्छकार	20	7	13		
	कुल योग	479	216	263		

पर्यावरण से संबंधित सूचना निम्न प्रारूप में दी गयी है-

क्रम	मदों के नाम जिनसे पर्यावरण प्रभावित होता है	वातावरण कितना प्रभावित है
1	वायु	
2	जल	
3	जमीन	
4	ध्वनि	
5	बैटरीज	सम्बंधित सूचना शून्य
6	प्लास्टिक	
7	जैव-चिकित्सा अपसिस्ट	
8	जोखिम वाले अपसिस्ट (रेडियोधर्मिता- ऐसे चिकित्सालय मे जहां कोबाल्ट मशीने प्रयोग में लायी जाती हैं)	
9	परमाणु चिकित्सा-रेडियोधर्मी	

सूचना प्रौद्योगिक की लेखापरीक्षा (आई.टी. लेखापरीक्षा)

क्रम	विवरण	मात्रा	मूल्य
1	हार्डवेयर	550	13750000
2	सॉफ्टवेयर	M.S.Office,Tally,CAD	
3	नेटवर्किंग	BSNL	

4	आई टी अनुप्रयोगों	Yes	
5	आर डी बी एम एस डाटाबेंक	yes	
6	लेखापरीक्षा इकाई में कम्प्यूटरीकरण- विभागों में ई-निविदा, यातायात गणना	yes	

भाग-प्रथम (ब)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) उत्तर प्रदेश प्रयागराज के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की स्थिति अप्राप्त-

अनिस्तारित प्रस्तरों की स्थिति निमन्वत थी-

क्रम संख्या	प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या		प्रस्तर अनिस्तारित रहने का कारण
		भाग 2 (अ)	भाग 2(ब)	
1	05/2021-22	1,2	01से 08	-

लेखा परीक्षा के दौरान निस्तारण हेतु प्रस्तावित प्रस्तरों की स्थिति-

क्रम	प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	प्रस्तर का संक्षिप्त विवरण	प्रस्तर अनिस्तारित रहने का कारण
शून्य				

भाग-प्रथम (स)

अप्रस्तुत अभिलेख –

विगत लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेख	वर्तमान लेखापरिखा में अप्रस्तुत अभिलेख का नाम	विगत लेखापरीक्षा के अप्रस्तुत अभिलेखों का वर्तमान लेखापरीक्षा में भी अप्रस्तुत रहने का कारण
. TEQIP-III के वार्षिक लेखो की छायाप्रति	विगत प्रस्तरों की अनुपालन आख्या, आतंरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, सामान्य भविष्य निधि अभिलेख/ पत्रावलियां, हानि, गबन, फ्रॉड, दण्ड से सम्बन्धित अभिलेख,निष्प्रयोज्य सामागी के अभिलेख,रूसा, के अभिलेख,परीक्षा मूल्यांकन,टेंडर	आगामी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किए जाने के लिए कहा गया है।

निर्गत लेखापरीक्षा ज्ञापों पर इकाई की टिप्पणी की स्थिति-

निर्गत तिथि	पृष्ठ संख्या ..से ... तक
23.08.2024 से 18.09.2024	01 से 232 तक

इकाई के साथ प्रारम्भिक बैठक (इंट्री कान्फ्रेंस) / समापन गोष्ठी (इक्जिट कांफ्रेश)

बैठक	दिनांक	बैठक न होने का कारण
प्रारम्भिक बैठक (इंट्री कान्फ्रेंस)	23.08.2024	बैठक की गयी
समापन गोष्ठी (इक्जिट कान्फ्रेंस)	18.09.2024	बैठक की गयी

भाग-II

(लेखापरीक्षा निष्कर्ष)

भाग –II (अ)

(महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष)

सन्दर्भ संख्या: OBS-1534359

विषय: सॉफ्टवेयर Enterprise Resource Planning(ERP) सिस्टम की स्थापना/क्रय हेतु रूपये 55.00 लाख का निरर्थक व्यय किया जाना।

कार्यालय वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में दीनदयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत Enterprise Resource Planning (ERP) सिस्टम की स्थापना हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी। जिसमे L-1 M/s Uptron Powertronics Ltd को Enterprise Resource Planning (ERP) सिस्टम की स्थापना हेतु फर्म का चयन किया गया था। फर्म के द्वारा Revised Lowest Bidder information Of tender की No.UPL/SW/2021-22/022for Design Development and Implementation of Web Based ERP Software रूपये 69,73,522/- में Purchase order No. 113/CS&P Automation /2022 Dated

07.01.2022 के द्वारा हरकोर्ट बटलर प्रविविधिक विश्विद्यालय, कानपुर ERP सॉफ्टवेयर को विक्रय करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान किया गया था तथा M/s Uptron Powertronics Ltd के द्वारा पूर्ण निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर M/s Sigma Software Designers Pvt. Ltd. को कार्यादेश दिनांक 07.01.2022 को निर्गत किया गया था। उपरोक्त कार्य को एक वर्ष में पूर्ण करना था इस सम्बन्ध में हरकोर्ट बटलर प्रविविधिक विश्विद्यालय, कानपुर के द्वारा दिनांक 12.10. 2022 को रूपये 20,00,000 लाख की धनराशि तथा दिनांक 05.08.2023 रूपये 35,00,000 का भुगतान किया गया था परन्तु फर्म के द्वारा 31 मार्च 2023 तक निम्न कार्य पूर्ण नहीं किये गये जिससे सॉफ्टवेयर कार्य नहीं कर रहा था और उसका प्रयोग भी नहीं किया जा रहा था:-

HR Module
Finance & Testing consultancy Module
Hostel Management Module
Central Store & Purchase Module
Vice Chancellor Dashboard to monitor all student & employee related activities.
Console panel to take backup of software and database
Detailed SoP(Manual) of each module

उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न तथ्यों की इकाई से पृच्छा की गयी।:-

तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करें।

कार्यदायी संस्था से किये गये एम०ओ०यु० की छायाप्रति लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत करें।

कार्य की प्रगति रिपोर्ट से लेखापरीक्षा को अवगत करायें एवं क्या फर्म अभी भी कार्य कर रही हैं ERP साफ्टवेयर पर उसकी आख्या रिपोर्ट से लेखापरीक्षा दल को अवगत करायें।

क्या कार्यालय में सभी कार्य ERP सॉफ्टवेयर पर किये जा रहे हैं, यदि हाँ तो कार्य कब से किये जा रहे हैं साक्ष्य सहित लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत करें, यदि नहीं तो किन कारणों से ERP सॉफ्टवेयर कार्य नहीं कर रहा हैं उन कारणों को साक्ष्य सहित लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत करें।

कुल कितना भुगतान अब तक किया जा चूका हैं उन प्रपत्रों की छायाप्रति लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत करें।

विलम्ब के सम्बन्ध में के क्या पेनाल्टी कार्यदायी संस्था पर लगायी गयी उन प्रपत्रों की छायाप्रति लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत करें।

निविदा की सारी प्रक्रिया M/s Uptron Powertronics Ltd के द्वारा पूर्ण की गयी परन्तु कार्यदायी संस्था M/s Sigma Software Designers Pvt. Ltd. थी इस सम्बन्ध में अपनी आख्या/कृत कार्यवाही से लेखापरीक्षा दल को साक्ष्य सहित प्रस्तुत करें।

उक्त के सम्बन्ध में इकाई ने तथ्यों एवं आंकडो की पुष्टि करते हुए बताया कि एम०ओ०यु० M/s Uptron Powertronics Ltd के साथ की गयी थी परन्तु M/s Uptron Powertronics Ltd ने M/s Sigma Software Designers Pvt. Ltd. को सॉफ्टवेयर का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु नियुक्त किया था तथा इस कार्य हेतु M/s Uptron Powertronics Ltd को कुल रूपये 55,00,000 लाख का भुगतान किया जा चूका था परन्तु सॉफ्टवेयर कार्य पूर्ण नहीं हो सका एवं कार्यलय का कोई भी कार्य इस सॉफ्टवेयर पर नहीं हो रहा था। उपभोग प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त हुआ हैं।

कार्य पूर्ण नहीं किये जाने पर भी कार्य दायी संस्था पर कोई पेनाल्टी नहीं लगायी थी। अतः रूपये 55.00 लाख का निरर्थक व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

सन्दर्भ संख्या: OBS-1575242

विषय: जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर से किराये का निर्धारण नहीं किये जाने से धनराशि रुपये 296.18 लाख की हानि ।

विश्वविद्दालय को अपनी आय के स्रोत को बढ़ाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है वह अपने परिधिगत संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठान/कार्यालय से किराया निर्धारित करके उसकी नियमित वसूली करे । नियमानुसार किराये के दर का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर से किया जाना चाहिए एवं उसी दर से किराये की वसूली की जानी चाहिए एवं समय पर इसका संशोधन किया जाना चाहिये।

कार्यालय जिलाधिकारी कानपुर के उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के नियम 4 के आधीन जनपद कानपुर नगर के क्षेत्राधिकार में स्थित सम्पत्तियों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु संलग्न सूची दिनांक 25.11.2014 से प्रभावी हैं। जनपद कानपुर के लिए वर्ष 2014-15 की मूल्यांकन सूची जिलाधिकारी कानपूर से अनुमोदित कर दी गई है। उक्त मूल्याँकन सूची 25.11.2014 से प्रभावी होगी।

उक्त संदर्भित मूल्यांकन सूची के अनुसार नवाबगंज कानपुर के नगरीय क्षेत्र में वाणिज्यिक कार्यालय की न्यूनतम दर ₹ 300 प्रति वर्गमीटर की दर से किराया प्रभारित किया जाना निर्धारित है।

कार्यालय वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की लेखापरीक्षा की नमूना जाँच के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार प्रकाश में आया की हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, नवाबगंज, कानपुर के

पूर्वी कैम्पस में 150 स्कवायर मीटर भूमि सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया को 1972 से किराये पर दिया गया था परन्तु सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ किराये का कोई अनुबंध नहीं किया गया था। सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के भवन एवं ए०टी०एम्० आदि 150 स्कवायर मीटर में संचालित हैं जिसका मुल्यांकन सूची के अनुसार न्यूनतम मासिक किराया ₹ 45000 निर्धारित है। इसके अतिरिक्त पूर्वी कैम्पस में ही 1078 स्कवायर मीटर भूमि आयल टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया को 30.11.1988 को एक रुपया अधिमुल्य पर 30 वर्ष के लिए लीज पर दिया गया था जिसकी लीज नवम्बर 2017 में समाप्त हो गया था। इसके पश्चात आयल टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया के साथ लीज/ किराया का कोई भी अनुबंध नहीं किया गया था। आयल टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया के भवन आदि 1078 स्कवायर मीटर में संचालित हैं जिसका मुलांकन सूची के अनुसार न्यनतम मासिक किराया ₹ 3,23,424 निर्धारित है

विश्विद्दालय द्वारा उसके परिधिगत संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों से अनुबन्ध करके जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दरों के आधार पर किराये का निर्धारण करके मासिक वसूली की जानी चाहिए जिससे आय में वृद्धि हो सके । विश्विद्दालय के परिधिगत संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों से मासिक किराया निम्नवत होना चाहिए

(धनराशि रूपये में)

व्यवसायिक प्रतिष्ठान/कार्यालय का नाम	अवधि		माह	दर	योग
	से	तक			
सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया	01.12.2014	31.03.2024	112 माह	45000	5040000
आयल टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया	01.12.2017	31.03.2024	76 माह	323400	24578400
				योग	29618400

उपरोक्त विवरण के अनुसार किराये आदि का कोई अनुबन्ध नहीं किये जाने एवं जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर से किराया वसूली नहीं किये जाने से विश्विद्दालय को धनराशि रुपये 29618400.00 की हानि हुई ।

अनुबंध नहीं किये जाने एवं जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर से किराये का निर्धारण कर किराया वसूल नही किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए बताया गया कि किराये का कोई अनुबन्ध नहीं किया गया एवं वर्तमान में सक्षम अधिकारियों के संज्ञान में लाकर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जा रही है।

इकाई के उत्तर से स्वतः स्पस्ट है कि विश्वविद्यालय स्तर से किराये के निर्धारण हेतु अनुबंध नहीं किये जाने के कारण विश्वविद्यालय को धनराशि रुपये 296.18 लाख की आर्थिक क्षति हुई।

अतः जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर से विश्विद्दालय परिसर में स्थित व्यासायिक प्रतिष्ठान एवं कार्यालय से किराये का निर्धारण नही किये जाने से धनराशि रुपये 296.18 लाख की हानि का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग –II (ब)

(अन्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष)

सन्दर्भ संख्या: OBS-1494628

विषय: कोर्स समाप्त हो जाने के पश्चात काशन मनी छात्र/छात्राओ को वापस न किया जाना। (रूपये 163.67 लाख)

शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रत्येक वर्ष नये एडमिशन के समय सभी छात्र/छात्राओ से सिक्योरिटी शुल्क के नाम पर काशन मनी ली जाती हैं जिसे सभी छात्र/छात्राओ को संस्थान छोड़ते समय वापस किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान की थी।

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अभिलेखों की जाँच में देखा गया की संस्थान में काशन मनी का निर्धारण निम्नानुसार किया गया था

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम का नाम	काशन मनी की दर (रूपये में)
1.	B.Tech	5000
2.	B.Tech (Lateral Entry)	5000
3.	BBA	5000
4.	BS-MS	5000
5.	M.Tech	5000
6.	MCA	5000
7.	MBA	5000
8.	Ph..D	1000

वित्तीय वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक के दौरान हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर शिक्षण संस्थान मे पदने वाले छात्र /छात्राओं से ली गयी कॉशन मनी का विवरण निम्न हैं:-

वर्ष	प्राप्त अवशेष	वर्ष में प्राप्त कुल काशन मनी की धनराशि	वर्ष के दौरान छात्र /छात्राओं को वापस की गयी धनराशि	अंतिम अवशेष
2021-22	10751646	4697000	3185000	12263646
2022-23	12263646	4235000	6707500	9791146
2023-24	9791146	7488000	912000	16367146

उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रारम्भ में काशन मद में रूपये 10751646 पहले से रखा था तथा उक्त वर्ष में रूपये 4697000 और छात्र/छात्राओं से काशन मनी मद में लिया गया था, जिसके सापेक्ष मात्र रूपये 3185000 छात्र/छात्राओं को वापस किया गया था . इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में के के प्रारम्भ में काशन मद में रूपये 12263646 पहले से रखा था तथा उक्त वर्ष में रूपये 4235000 और छात्र/छात्राओं से काशन मनी मद में लिया गया था, जिसके सापेक्ष रूपये 6707500 छात्र/छात्राओं को वापस किया गया था तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रारम्भ में काशन मद में रूपये 9791146 पहले से रखा था तथा उक्त वर्ष में रूपये 7488000 और छात्र/छात्राओं से काशन मनी मद में लिया गया था, जिसके सापेक्ष रूपये मात्र 912000 छात्र/छात्राओं को वापस किया गया था .

उपरोक्त आंकड़ो से स्पष्ट था की वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में संस्थान के पास छात्र/छात्राओ से सिक्योरिटी फीस के नाम पर लिए गये काशन मनी रूपये 16367146 छात्र /छात्राओ को वापस नहीं किया गया जिससे गरीब छात्र/छात्राओ को काशन मनी तथा उस पर मिलने वाले ब्याज का नुकसान हो रहा था| जबकि सभी छात्र/छात्राओ को संस्थान छोड़ते समय काशन मनी वापस किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान की थी|

अतः रूपये 163.67 लाख की काशन मनी गरीब छात्र/छात्राओ को वापस न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियो के समक्ष प्रकाश में लाया जाता हैं|

सन्दर्भ संख्या: OBS-1537477

विषय: केमिकल इंजीनियरिंग भवन के हस्तांतरण नहीं होने के कारण रूपये 1008.44 लाख का व्यय का उद्देश्य की पूर्ति का नहीं होना।

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के भवन का निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राविधिक शिक्षा विभाग के शासनादेश सं0 34/सोलह-1-2017-9(बजट-6)/2016 दिनांक 03.01.2017 द्वारा लागत रू0 1089.77 लाख की प्रदान की गयी थी तथा रू० 435.90 लाख की प्रथम किश्त निर्गत की गयी थी। इसी शासनादेश के माध्यम से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् को कार्यदायी संस्था के रूप में चयनित किया गया था एम० ओ०यु० की शर्तों के अनुसार केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के भवन का निर्माण कार्य के पूर्ण किये जाने की अवधि 22 माह निर्धारित की गयी थी।

उपरोक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति निदेशक, ग्लोबल कंस्ट्रक्शन एन्ड कंसल्टेंसी सेल, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या 2345/201/84 दि० 28.11.2017 के माध्यम से लागत रू0 803.10 लाख लेबर सेस एवं सेस सहित तथा रू0 87.67 लाख सेंटेज के साथ कुल लागत रू0 890.77 लाख की प्रदान की गयी थी। उपरोक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था की इकाई अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-20, कानपुर के साथ एम० ओ०यु० दिनांक 25.03.2017 को हस्ताक्षर किया गया था। उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत सिविल कार्य, आन्तरिक जलमल कार्य, बाह्य जलमल कार्य, आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य, पम्प हाउस, बोरिंग ट्यूबवेल, फायर फाइटिंग से सम्बंधित उपकरण, आदि कार्य सम्मिलित था।

कार्यदायी संस्था को 2017 में प्रथम किश्त की धनराशि रू0 435.90 लाख प्रदान किया जा चूका था तथा दिनांक 10.07.2018 के प्रगति आख्या के अनुसार कार्य पर रू0 328.10 लाख का व्यय किया जा चूका था। कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा दि0 26.07.2018 को शासन से द्वितीय किश्त की मांग की गयी जिसके पश्चात् शा0 सं0 104/2018/3401/सोलह-1-2018-9(बजट-6)/2018 दि0 24.10.2018 द्वारा रू0 435.90 लाख की द्वितीय किश्त शासन द्वारा जारी किया गया था। अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि के व्यय किये जाने के उपरान्त दि0 12.12.2018 को द्वितीय किश्त की माँग की गयी थी जिसके पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा दि0 22.01.2019 को शासन से प्राप्त रू0 435.90 लाख में से रू0 87.19 लाख की धनराशि रोककर रू0 348.72 लाख की धनराशि निर्माण इकाई को अवमुक्त की गयी थी। विश्वविद्यालय द्वारा रोकी गयी रू0 87.19 लाख की धनराशि को 01.03.2019 को निर्माण इकाई को अवमुक्त किया गया था। कार्यदायी संस्था द्वारा सितम्बर 2019 तक प्राप्त कुल धनराशि रू0 871.80 लाख थी। तत्पश्चात दिनांक 24.04.2023 को तृतीय क़िस्त रु0 136.64 की निर्माण इकाई को अवमुक्त कीगई थी। कुलसचिव के पत्र संख्या: 111/अनुरक्षण/2024 दिनांक 22.08.2024 के अनुसार केमिकल इंजीनियरिंग भवन में फायर व ट्रांसफार्मर सम्बन्धी कार्य अपूर्ण हैं तथा फायर NOC भी अभी तक अप्राप्त हैं जिस कारण भवन का हस्तांतरण का कार्य अभी तक नहीं हो पाया था जबकि पूर्व लेखापरीक्षा में भी विलम्ब के सम्बन्ध में आपत्ति उठायी गयी थी उसके बाद भी अभी तक भवन का हस्तांतरण नहीं किया जा सका।
उपरोक्त के सन्दर्भ में इकाई से पृच्छा किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए बताया की कार्य अपूर्ण होने के कारण भवन का हस्तान्तरण किया जाना सम्भव नहीं हैं तथा कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण कार्यदायी संस्था का 10% धनराशि रोकी गयी हैं। लेखापरीक्षा को उत्तर

स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एम० ओ०यु० जनवरी 2017 की शर्तों के अनुसार केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के भवन का निर्माण कार्य के पूर्ण किये जाने की अवधि 22 माह निर्धारित की गयी थी, कार्य पूर्ण होने में इतना विलम्ब होने के कारण भवन का हस्तांतरण अभी तक विश्वविद्यालय को नहीं हो पाया था। अतः उद्देश्य की पूर्ति नहीं होने के कारण प्रकरण उच्चाधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता हैं।

सन्दर्भ संख्या: OBS-1559025

विषय: अग्रिम के रूप मे दी गयी, धनराशियों का समायोजन न किया जाना, रु. 6.51 लाख।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-अ के प्रस्तर 249 के अनुसार प्रदत्त अस्थायी अग्रिमों का समायोजन अग्रिम प्रदान किये जाने के तीन माह या अधिकत्तम वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कर लिया जाना चाहिये, जब तक प्रथम किस्त अग्रिम का समायोजन न हो,तब तक दूसरा अग्रिम नहीं दिया जाना चाहिये.अन्यथा की स्थिति मे प्रचलित बाजार दर पर व्याज सहित अग्रिम की वसूली की कार्यवाही किया जाना चाहिये।

इकाई के अग्रिम पंजिका के अनुसार वर्ष2023-24 के अधिकारियों/कर्मचारियो कुल धनराशि रु.6.51 लाख अग्रिम के रूप मे दिया गया है, विवरण निम्नवत है।

क्र.सं.	नाम	दिनांक	धनराशि रु.
1-	डॉ. प्रदीप कुमार	24/12/21	20000/
2-	डॉ. कुमार गौरव	03/04/23	20000/
3-	श्री अनिल प्रसाद	04/05/23	60000/
4-	डॉ.राशि अग्रवाल	09/05/23	30000/
5-	श्री ए.के. राठौर	09/05/23	20000/
6-	श्री ए.के. राठौर	09/05/23	20000/
7-	श्री संजीव कुमार सिंह यादव	09/05/23	13000/
8-	श्री अनिल प्रसाद	12/05/23	20000/
9-	ड्रा.एस.के. शर्मा	12/06/23	20000/
10-	श्री अनिल प्रसाद	06/09/23	80000/
11-	श्री अनिल प्रसाद	27/09/23	98975/
12-	ड्रा.आदर्श कुमार आर्या	14/12/23	25000/
13-	ड्रा.अंजलि अवस्थी	29/12/23	10000/
14-	ड्रा.मनीष कुमार	06/01/24	20000/
15-	ड्रा.कविता टंडन	06/01/24	20000/
16-	श्री कुलदीप श्रीवास्तव	10/01/24	35000/
17-	ड्रा.अमित कुमार राठौर	16/01/24	20000/

18-	ड्रा०आशीष कपूर	16/01/24	5000/
19-	ड्रा०दानबहादुर पाल	16/01/24	5000/
20-	डॉ० वीनिता सिंह	29/01/24	20000/
21-	ड्रा० दीपेश सिंह	12/02/24	40000/
22-	मिस्टर जितेंद्र कुमार	13/02/24	5000/
23-	ड्रा०विनीता सिंह	17/02/24	5000/
24-	ड्रा०सी०एन०सिंह	17/02/24	20000/
25-	ड्रा०अंजलि अवस्थी	02/03/24	20000/
	कुल धनराशि		651975/

संप्रेक्षा मे इंगित किये जाने पर उत्तर मे बताया गया,कि भविष्य के लिये नोट किया, इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है,क्यो कि एक एडवांस के समायोजन के पश्चात दूसरा एडवांस दिया जाना चाहिये |

अतः विभिन्न कर्मचारियो को दिये गये, अग्रिम रु०6.51 लाख के समायोजन लम्बित रहने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है |

सन्दर्भ संख्या: OBS-1599547

विषय: न्यू अंशदान पेंशन योजना के अन्तर्गत रु०2.66लाख की कटौती न किया जाना |

उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या सा-3-1051/दस-2008-301 (9)-2003 दिनांक 14 अगस्त 2008 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2005 को अथवा धनराशि की उसके पश्चात सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2008-301(9)- 2003 दिनांक 28 मार्च 2005 से नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गयी है जिसके अनुसार 01 अप्रैल 2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर यह अनिवार्य रूप से लागू होगी। ऐसा कर्मचारी अपने मूल वेतन, मँहगाई वेतन और मँहगाई भत्ता का मात्र 10 प्रतिशत मासिक अंशदान योजना अन्तर्गत पेंशन टियर-। के लिये करेगा तथा कर्मचारी के अंशदान के बराबर धनराशि टियर-।। के अन्तर्गत सरकार द्वारा खाते में जमा किया जायेगा। इस अंशदान की कटौती आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह कर्मचारी के वेतन से की जाएगी।

भारत सरकार की अधिसूचना संख्याः 1/3/2016-पी0आर0 दिनांक 31.01.2019 द्वारा यह व्यवस्था कर दी गयी है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कर्मचारी का मासिक अंशदान उसके वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत होगा और केन्द्र सरकार का मासिक अंशदान दिनांक 01.04.2019 से वेतन महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत होगा

उक्त के सम्बन्ध में राज्य सरकार संख्याः 05/2019/सा-3-19/दस-2019-301(9)/2019 दिनांक 13.02.2019 द्वारा यह आदेशित किया गया कि केन्द्र सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 31.01.2019 में की व्यवस्था के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारी के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि एन0पी0एस0 के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा पूर्ववत् वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा तथा दिनांक 01.04.2019 से राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्था द्वारा वेतन और महंगाई भत्ते के 14 प्रतिशत के बराबर नियोक्ता का अंशदान किया जायेगा।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी दिनांक 01 अप्रैल 2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में आये प्रत्येक नवनियुक्त कर्मचारी जैसे ही सेवा में कार्यभार ग्रहण करें नवनियुक्त कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक माह के अन्दर त्वरित कार्यवाही करके इन्डेक्स नम्बर प्राप्त करें। नव परिभाषित पेंशन योजना के लिये अंशदान की कटौती जिस माह से कार्यभार ग्रहण किया गया है उसके अगले माह के देय वेतन से प्रारम्भ की जायेगी।

इकाई की एन॰पी॰एस॰ से संबन्धित वेतन पंजिका के अवलोकन मे पाया गया, कि विश्वविद्यालय मे कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियो के वेतन से उनके नियुक्ति तिथि से सम्प्रेक्षा तिथि तक एन॰ पी॰एस॰ की कटौति नहीं किया जा रहा है, जब कि नियमानुसार कार्यभार ग्रहण करने के माह से अगले माह के देय वेतन से एन॰पी॰एस॰ की कटौति प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिये था, विवरण निम्नवत है।

क्र.सं.	नाम	पद नाम	नियुक्ति की तिथि	मूलवेतन +डी.ए.माह अप्रैल2024 सेजुलाई 2024 तक (04 माह)	10 प्रतिशतकर्मचारी अंशदान माह अप्रैल2024 सेजुलाई 2024 तक (04 माह)	14 प्रतिशत नियोक्ता माह अप्रैल2024 से जुलाई 2024 तक (04 माह)
1-	डा॰ अभिनव श्रीवास्तव	असि.प्रो.	11/03/2024पूर्वान्ह	86550X4 माह	34620	48468
2-	डा॰ मनोज कुमार	प्रोफेसर	15/03/2024 पूर्वान्ह	216300X4माह	86520	121128
3-	डा॰मनीष कुमार	असि.प्रो.	12/03/2024पूर्वान्ह	86550X4 माह	34620	48468
4-	डा॰रिया कैथरीन जार्ज	असि.प्रो.	11/03/2024पूर्वान्ह	86550X4 माह	34620	48468
				कुल योग	190380	266532

कार्यालय मे कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारिये दिनांक 01 -04-2005 के बाद नियुक्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियेकी नमूना जांच मे पाया गया,कि न्यू अंशदान पेंशन योजना के अन्तर्गत उपरोक्त विवरण के अनुसार प्रान॰ सं॰ आवंटित नहीं कराया गया था न ही इनके वेतन से न्यू अंशदान योजना के अन्तर्गत 10%कटौति कि जा रही थी ।इस संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इन शिक्षणेत्तर कर्मचारिये

को प्रान सं आवंटन न कराये जाने तथा न्यू अंशदान पेंशन के अन्तर्गत कटौति न किए जाने का औचित्य पूछे जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया,कि जल्द से जल्द आवंटन के उपरांत कटौती कि जाएगी ,इकाई का उत्तर मान्य नहीं है।

अतः न्यू अंशदायी पेंशन योजना के अनर्गत रु.2.66 लाख की कटौति न किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

सन्दर्भ संख्या: OBS-1599614

विषय: स्थाई/अस्थाई अग्रीमो का रु.442.26लाख का मिलान न किया जाना

शासनादेश संख्या जी-2-17/दस 2011 वित्त (सामान्य) अनुभाग -2 लखनऊ दिनांक 25 जनवरी 2011 एवं इसके पूर्व समय-समय पर निर्गत शासनादेश द्वारा राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो के सामान्य भविष्य निधि से संबन्धित अभिलेखों यथा जी.पी.एफ.पास बुक ,लेजर एवं ब्राडशीट का रख-रखाव आवश्यक रूप से किया जाना चाहिये

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर के बिल पंजिका की जांच मे पाया गया है, कि वर्ष 2021-22से 2023-24 तक शिक्षण /अधिकारियों /कर्मचारियो के सामान्य भविष्य निधि से संबन्धित जी.पी.एफ.पास बुक,लेजर एवं ब्राड शीट का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है ,जिसके कारण सम्प्रेक्षा अवधि मे आहरित धनराशि रु. 442.26 का सत्यापन /मिलान किया जा सके , निम्नविवरण के अनुसार -

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	स्थाई/अस्थाई	आदेश/दिनांक	धनराशि
1-	श्री महेंद्र कुमार कुरील	अस्थाई अग्रिम	03/04/2021	100000-
2-	श्री कृष्ण शंकर शुक्ला	स्थाई अग्रिम	02/04/2021	100000-
3-	श्री राम पाल	स्थाई अग्रिम	13/08/2021	500000-
4-	श्री कमलेश कुमार	स्थाई अग्रिम	21/08/2021	400000-
5-	श्री चन्द्र प्रकाश	स्थाई अग्रिम पुत्री की उच्च शिक्षा हेतु	02/09/2021	43000-
6-	श्री उमा शंकर राय	स्थाई अग्रिम	02/09/2021	200000-
7-	श्री कमलेश कुमार	स्थाई अग्रिम	28/08/2021	700000-
8-	श्री योगेश कुमार कटियार	स्थाई अग्रिम	15/09/2021	1000000-
9-	श्री राम गोपाल	स्थाई अग्रिम	28 /09/2021	100000-
10-	श्री अनवर अली	स्थाई अग्रिम	29/09/2021	300000-
11-	श्री वीर सिंह	स्थाई अग्रिम	18/11/2021	50000-
12-	श्री महेश कुमार	अस्थाई	18/11/2021	80000-
13-	श्री रज्जन कुमार	स्थाई अग्रिम	18/11/2021	170000-
14-	श्री परस राम	स्थाई अग्रिम	18/11/2021	290000-

15-	श्री रमेश चन्द्र पुत्र सरदार	स्थाई अग्रिम	12/11/2021	500000-
16-	श्री कृष्ण मुरारी	स्थाई अग्रिम	14/02/2022	400000-
17-	श्री सुरेन्द्र कुमार	स्थाई अग्रिम	19/02/2022	75000-
18-	श्री चन्द्र प्रकाश फिटर	स्थाई अग्रिम	14/03/2022	130000-
19-	ड्रा राजेश कटियार एसो.प्रो.	स्थाई अग्रिम(भवन निर्माण)	19/03/2022	800000-
			कुल धनराशि	5978000-
		वर्ष2022-23		
1-	श्री अवनीश कुमा अटे.	स्थाई अग्रिम(भवन निर्माण)	06/06/2022	350000-
2=	श्री दिलीप कुमार लैब अटे.	स्थाई अग्रिम	13/06/2022	400000-
3-	श्री संतोष कुमार सेन लैब अटे.	स्थाई अग्रिम	22/06/2022	500000-
4-	श्री वीर सिंह लैब अटे.	स्थाई अग्रिम	22/06/2022	75000-
5-	श्री मनोज कुमार सेन अटे.	स्थाई अग्रिम	20/06/2022/	340000-
6-	श्री बुद्धि राम प्रसाद हा. अटे.	स्थाई अग्रिम	20/06/2022	300000-
7-	श्री रूप चन्द्र सोनकर अनुदेशक	स्थाई अग्रिम	28/06/2022	480000-
8-	श्री रवि सोनी कम्पयूटर आपरेटर	स्थाई अग्रिम	17/06/2022	900000-
9-	श्री राकेश कुमार अटे.	अस्थाई	22/06/2022	190000-
10-	श्री श्री शैलेश कुमार सिंह कनिष्ठ सहायक	स्थाई अग्रिम	13/07/2022	200000-
11-	श्री सुमंत चटर्जी एसो.प्रो .	स्थाई अग्रिम	05/08/2022	700000-
12-	श्री राम कुमार त्रिपाठी अटे.	स्थाई अग्रिम	07/07/2022	730000-
13-	ड्रा संजीव कुमार गुप्ता आचार्य	स्थाई अग्रिम	03/08/2022	1980000-
14-	ड्रा प्रभात वर्मा आचार्य	स्थाई अग्रिम	01/07/2022	1200000-
15-	श्री राम पल चौकीदार	एन.आर.फ	05/09/2022	140000-
16-	श्री अजय कुमार क.सहायक	एन.आर.फ	06/09/2022	1000000-
17-	श्री श्री कमलेश कुमार प्र.सहायक	पुत्री के विवाह स्थाई अग्रिम	03/11/2022	600000-
18	श्री रामसागर अटे.	स्थाई अग्रिम	25/10/2022	400000-
19-	श्री महेश कुमार अटे.	स्थाई अग्रिम	25/10/2022	250000-
20-	श्री अनिल कुमार प्रसाद फोरमैन	स्थाई अग्रिम	18/11/2022	1000000-
21-	श्री श्री वेदप्रकाश दीक्षित संगणक संचालक	स्थाई अग्रिम	03/11/2022	1500000-
22-	श्री वीरेंद्र कुमार चौकीदार	स्थाई अग्रिम	16/11/2022	160000-
23-	श्री रज्जन कुमार वर्कशाप अटे.	स्थाई अग्रिम	03/12/2022	125000-
24-	श्री चन्द्र प्रकाश फिटर	स्थाई अग्रिम	12/12/2022	128000-
25-	श्री मूल चंद्र क्लीनार	स्थाई अग्रिम	08/02/2023	250000-
26-	श्री शत्रुधन तिवारी चौकीदार	स्थाई अग्रिम	31/01/2023	50000-

27-	श्री राम कुरील ब्यालरमैन		02/02/2023	890000-
28-	श्री राजेश कुमार यादव ड्राफ्टमैन	स्थाई अग्रिम	19/01/2023	800000-
29-	श्री राम फेर अटे॰	स्थाई अग्रिम	24/03/2023	350000-
30-	श्री वीर सिंह अटे॰	स्थाई अग्रिम	24/03/2023	50000-
31-	श्री विनोद सिंह दफ्तरी	एन॰आर॰फ॰भवन निर्माण	24/03/2023	1000000-
32-	श्री भारत सिंह प्र॰सहायक	एन॰आर॰फ पुत्री के विवाह	24/03/2023	1500000-
			कुल धनराशि	18538000-
		वर्ष 2023-24		
1-	श्री सूरज पल लैब अटे॰	एन॰आर॰एफ॰पुत्री की उच्च शिक्षा के लिए	26/04/2023	200000-
2-	प्रो॰ ए॰के॰शंखवार आचार्य	स्थाईअग्रिम	15/05/2023	800000-
3-	श्री राकेश कुमार अटे॰	स्थाईअग्रिम	06/05/2023	75000-
4-	श्री रवीन्द्र कुमार अम्बिकेश सहा॰आचार्य	स्थाईअग्रिम	10/05/2023	75000-
5-	श्री अनिल कुमार शर्मा प्रधान सहायक	स्थाईअग्रिम	02/05/2023	1900000-
6-	श्री दिलीप कुमार अटे॰	अस्थाई	03/06/2023	10000-
7-	श्री रामपाल अटे॰	स्थाईअग्रिम	07/07/2023	300000-
8 -	श्री राजेश कुमार यादव अटे॰	स्थाईअग्रिम	12/07/2023	75000-
9-	श्री रजन कुमार अटे॰	स्थाईअग्रिम	12/07/2023	75000-
10-	श्री सुरेन्द्र कुमार अग्निहोत्री	स्थाईअग्रिम	12/07/2023	300000-
11-	श्री प्रमोद कुमार गौड़ मैकेनिक	स्थाईअग्रिम	03/10/2023	1000000-
12-	श्रीमती पूनम मल्होत्रा कम्प्यूटर आपरेटर	स्थाईअग्रिम	05/10/2023	1800000-
13-	श्री शैलेंद्र कुमार सिंघल .आचार्य	स्थाईअग्रिम	30/10/2023	6000000-
14-	श्री विशुन देव यादव अटे॰	स्थाईअग्रिम(भवन निर्माण)	07/12/2023	800000-
15-	ड्रा अलक कुमार सिंह आचार्य	स्थाईअग्रिम.भवन क्रय	14/12/2023	3200000-
16-	श्री बुद्धिराम प्रसाद अटे॰	स्थाईअग्रिम. पुत्री विवाह हेतु	12/01/2024	600000-
17-	श्री रमेश स्वच्छकार	स्थाईअग्रिम पुत्री विवाह हेतु	29/12/2023	500000-
18-	श्री सुजीत कुमार लैब अटे॰	स्थाईअग्रिम. पुत्री विवाह हेतु	23/02/2024	800000-

19-	ड्रा कृष्णराज.आचार्य	स्थाईअग्रिम. स्वयं के ईलाजहेतु	19/03/2024	1200000-
			कुलधनराशि	19710000-

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर कार्यारत अधिकारियों/कर्मचारियो की सा.भ. निधि स्थाई अग्रिम/अस्थाई अग्रिमों की नमूना जांच मे पाया गया,कि सा.भ. निधि पासबुक,लेजर एवं ब्राड शीट का रख -रखाव नहीं किया जा रहा है | इस संबंध मे पुछे जाने पर उत्तर मे बताया गया, कि जी.पी.एफ.पासबुक नहीं बनाई गयी है लेजर पूर्ण कर लिया जाएगा,क्यो कि बिना जी.पी.एफ.पास बुक के स्थाई/अस्थाई अग्रीमो का कैसे निकास किया जा रहा है ,उत्तर मान्य नहीं है |

अतः जी.पी.एफ. पासबुक एवं लेजर के बिना स्थाई /अस्थाई अग्रिमों के अंतर्गत रु.244.26 लाख कि निकासी किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है |

सन्दर्भ संख्या: OBS-1568949

विषय : आंतरिक नियंत्रण का अभाव

भी कार्यालय के सुचारू संचालन हेतु आन्तरिक नियंत्रण का प्रभावी होना आवश्यक है। कार्यालय वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अभिलेखों की नमूना जॉच में निम्नलिखित आन्तरिक नियंत्रण का अभाव पाया गया जिसके निराकरण की अनुपालन आख्या लेखा परीक्षा में प्रतीक्षित रहेगी।

1-इकाई में फ्राड एवं करप्शन को रोकने एवं उसके निराकरण हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की गयी थी जिसका परिपालन आगामी लेखापरीक्षा में अपेक्षित रहेगा।

2-विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इकाई द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी जो आगामी लेखापरीक्षा में कार्यवाही अपेक्षित रहेगा।

3-वर्तमान लेखापरीक्षा अवधि मे आन्तरिक लेखा परीक्षा सम्पादित नहीं की गयी थी। कार्यालय के क्रिया कलाप, मितव्ययिता एव वित्तीय उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किये जाने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा सम्पादित किया जाना अपेक्षित रहेगा।

4- निम्न कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा पुस्तिका में कमियॉ थी जो आगामी लेखापरीक्षा में पूर्ण किया जाना अपेक्षित रहेगा।

1. डा0 रघुराज सिंह, प्रोफेसर, की सेवा पुस्तिका में पाया गया कि निजी विवरण को प्रत्येक पॉच वर्ष पश्चात सत्यापित नहीं किया जा रहा है और ना ही सेवा पुस्तिका में फोटो चस्पा की गयी है।

2. डा0 एस0 के0 सिंघल, प्रोफेसर की सेवा पुस्तिका में पाया गया कि वेतन वृद्धि के समय कालम 8 में हस्ताक्षर नहीं कराया जा रहा है।

3. डा0 ओंकार सिंह, प्रोफेसर की सेवा पुस्तिका में पाया गया कि दूसरी सेवा पुस्तिका का प्रयोग किया जा रहा हैं जबकि दूसरी सेवा पुस्तिका में कोई भी विवरण अंकित नहीं किया गया है।

4. डा0 श्रीमती रचना अस्थाना, प्रोफेसर की सेवा पुस्तिका में पाया गया कि अर्जित अवकाश वर्ष 2017 के बाद से पूर्ण नहीं किया गया है।

5. श्री बृजेश सिंह एसोसिएट प्रोफेस की सेवा पुस्तिका में अर्जित अवकाश वर्ष 2017 के बाद से पूर्ण नहीं किया गया है।

6. डा0 राम नरेश एवं डा0 आनन्द कुमार प्रोफेसर की दूसरी सेवा पुस्तिका का प्रयोग किया जा रहा है जबकि दूसरी सेवा पुस्तिका में कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं है।

7. श्री सुमन चटर्जी, एसोसिएट प्रोफेसर की सेवा पुस्तिका में पाया गया कि अर्जित अवकाश वर्ष 2019 के बाद से पूर्ण नहीं किया गया है और न ही चिकित्सा अवकाश का कोई भी विवरण अंकित नहीं किया गया है साथ ही वेतन वृद्धि के समय कर्मचारी द्वारा कालम 8 में हस्ताक्षर नहीं कराया जा रहा है।

8. डा0 अनीता यादव, एसो0 प्रोफेसर की सेवा पुस्तिका में पाया गया कि सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर कर्मचारी के निजी विवरण को प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर करा कर सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं कराया जा रहा है।

9. डा0 अश्विनी सूद एसो0 प्रोफेसर की सेवा पुस्तिका में पाया गया कि कर्मचारी की फोटो चस्पा नहीं किया गया है और न ही वर्ष 2019 के बाद से अर्जित अवकाश का विवरण बनाया जा रहा है।

10. डा0 एस के गुप्ता एवं डा0 राजेश कटियार आचार्य केमिकल इंजी0 की सेवा पुस्तिका में पाया गया कि कर्मचारी की फोटो चस्पा नहीं किया गया है और न ही चिकित्सा अवकाश का विवरण बनाया जा रहा है। साथ ही दूसरी सेवा पुस्तिका का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें कर्मचारी का कोई भी विवरण अंकित नहीं किया गया है।

5- निम्नलिखित स्वीकृत पदों को पूर्ण किया जाना आगामी लेखापरीक्षा तक में पूर्ण किया जाना अपेक्षित रहेगा।

क्रम सं0	पदनाम	स्वीकृत संख्यास्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	कमी/अधिक्य	कमी के प्रकरण में रिक्त रहने की अवधि (माह में)
	कुलसचिव	1	0	1	विश्वविद्यालय द्वारा कुलसचिव के पद का अग्रिम आदेशों तक दायित्व सौपा गया है।
	परीक्षा नियंत्रक	1	0	1	विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा नियंत्रक के पद का अग्रिम आदेशों तक दायित्व सौपा गया है।
	चिकित्साधिकारी	1	0	1	-
	आचार्य	19	9	10	-
	सह-आचार्य	38	27	11	-
	सहायक आचार्य	74	72	2	-
	शोध सहायक	11	6	5	-
	फोरमैन	6	1	5	-
	अनुदेशक	9	4	5	-
	तकनीकी सहायक	12	1	11	-
	सीनियर मैकेनिक	3	1	2	-
	मैकेनिक-ए	2	1	1	-
	जूनियर स्टैनो/स्टैनो	7	2	5	-
	कनिष्ठ सहायक	29	7	22	-

	ब्वायलर अटे0	2	0	2	–
	मैकेनिक	2	1	1	–
	फिटर	2	0	2	–
	ड्राइवर	3	0	3	–
	मिस्त्री	2	0	2	–
	एस0एन0डी0/प्रधान सहायक	18	11	7	–
	स्विच बोर्ड ऑपरेटर	4	0	4	–
	मैकेनिक-बी	3	1	2	–
	कम्प्यूटर ऑपरेटर	3	3	0	–
	कैटेलागर	2	2	0	–
	पंच ऑपरेटर	2	1	1	–
	आन्तरिक सम्परीक्षक	1	0	1	–
	व्यैक्तिक सहायक	1	0	1	–
	सीनियर लाई0 असिस्टेंट	1	0	1	–
	सीनियर ड्राफ्ट्समैन	1	0	1	–
	चीफ स्टोर कीपर	1	0	1	–
	सीनियर स्टैनोग्राफर	1	0	1	–
	प्रधान लिपिक	1	0	1	–
	कम्पाउडर	1	0	1	–
	फार्मासिस्ट	1	0	1	–
	तकनीकी सहायक (स्टोर)	1	0	1	–
	स्टोरकीपर	1	0	1	–
	जूनि0 लाईब्रेरी असिस्टेंट	1	0	1	–
	सीनियर ग्राइन्डर	1	0	1	–
	टेलीफोन ऑपरेटर	1	0	1	–
	कारपेन्टरी इन्स्ट्रक्टर	1	0	1	–
	इलेक्ट्रिशियन	1	0	1	–
	टर्नर	1	0	1	–
	फिटर कम कारपेन्टर	1	0	1	–
	ब्लैकस्मिथ	1	0	1	–
	टे॰ड्समैन	1	0	1	–
	फर्नेस ऑपरेटर	1	0	1	–
	मैकेनिक	1	0	1	–
	सीनियर मशीन मैन	1	0	1	–
	चतुर्थ श्रेणी	162	41	121	–
	स्वच्छकार	20	7	13	–

6- शासकीय डाक टिकट पंजिका को नियमानुसार पूर्ण किया जाना। आगामी लेखापरीक्षा में अपेक्षित रहेगा।

7- वाहन संख्या यू पी 78 डी एफ 3084, यू पी 78 एच क्यू 9340, यू पी 78 बी यू 8885 एवं यू पी 78 एफ ई 3012 की लाग बुक को नियमानुसार पूर्ण किया जाना। आगामी लेखापरीक्षा में अपेक्षित रहेगा।